बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0 9/एम0–13–22/2011.....256(9)......... **दिनांक–** 22/2/2017 **डा0 जय प्रकाश सिंह, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, शाहकुंड, भागलपुर के विरुद्ध घुसखोरी एवं कमीशनखोरी का परिवाद पत्र निगरानी विभाग से प्राप्त होने के पश्चात् निगरानी विभाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन आयुक्त भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर के द्वारा इसकी जाँच क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी एवं क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, भागलपुर से संयुक्त रुप में कराकर डा0 सिंह के विरुद्ध 7 आरोप प्रतिवेदित की गई। उक्त आरोपों के संबंध में विभागीय संकल्प संख्या– 1156(9) दिनांक– 09.10.12 तथा संशोधित संकल्प संख्या– 537(9) दिनांक– 25.06.2015 के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 द्वारा विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम पर विभागीय स्तर पर समीक्षा की गई।**

डा0 जय प्रकाश सिंह, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, शाहकुंड, भागलपुर को प्रपत्र 'क' में गठित आरोप सं0– 01 एवं 05 में अपने दायित्व का निर्वहन प्रभारी होने के नाते लॉग बुक का समय–समय पर जाँच करने एवं ए0एन0एम0 को यथोचित स्थान पर कर्त्तव्य के लिए प्रतिनियुक्ति करना उनकी पूर्ण जबाबदेही थी। इसके लिए आरोप एवं अधिगम की सम्यक समीक्षोपरान्त सक्षम प्राधिकार द्वारा डा0 जय प्रकाश सिंह, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, शाहकुंड, भागलपुर को लघु दंड स्वरुप असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया हैं।

अतः डा0 जय प्रकाश सिंह, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, शाहकुंड, भागलपुर को दो वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से दंड अधिरोपित की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(नागेन्द्र प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः 256(9) /स्वा0, पटना , दिनांक 22/02/2017

प्रतिलिपिः– महालेखाकार(ले0 एवं ह0) बिहार पटना/ अवर सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय अपर– निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर/सिविल सर्जन, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री (स्वास्थ्य) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव(स्वास्थ्य) के निजी सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी, 2,3,5,7,8,10,11,17 एवं 18 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– डा0 जय प्रकाश सिंह, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, शाहकुंड, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

22.2.17

सरकार के अवर सचिव,